

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 250/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-13.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 13.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना-पवई:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 13.07.25 को 30नि0 सुर्लभ पाण्डेय थाना पवई आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जयहिन्द यादव पुत्र लालजीत यादव ग्राम फत्तनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गोखवल सर्विस लेन (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) वहद ग्राम अण्डिका से समय 02.12 बजे एक अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त जयहिन्द यादव पुत्र लालजीत यादव ग्राम फत्तनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. जयहिन्द यादव पुत्र लालजीत यादव, ग्राम फत्तनपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 195/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 195/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 70/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि, थाना पवई, आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 269/23 धारा 302 भादवि, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0 270/2017 धारा 147, 149, 323, 427, 504, 506 भादवि, थाना पवई, आजमगढ़

6. मु0अ0सं0 58/23 धारा 323/504/506 भादवि, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. 30नि0 सुर्लभ पाण्डेय, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

02. का0 शुभम मिश्रा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

03. का0 अनुपम यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

04. का0 सज्जाद अहमद, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

05. का0 प्रभात त्रिपाठी, थाना पवई, जनपद आजमगढ़



02.थाना-सिधारी:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी/घटना का विवरण:-

आज दिनांक 13.07.2025 को उ0नि0 नीतीश सिंह, उ0नि0 युवराज सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति वीरेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष को हुसैनगंज से समय करीब 04.25 बजे 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 348/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद देशी तमंचा
02. दो अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. वीरेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0- 348/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 150/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 281/05 धारा 307/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 369/11 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 333/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 318/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 186/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना रौनापुर आजमगढ़
7. मु0अ0सं0- 348/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 नीतीश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
02. उ0नि0 युवराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
03. कां0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
04. कां0 नन्दलाल थाना सिधारी आजमगढ़
05. हो0गा0 बजरंगी यादव थाना सिधारी आजमगढ़
06. हो0गा0 सुबाष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
07. हो0गा0 प्रेमचन्द राय थाना सिधारी आजमगढ़



03.थाना-तरवा:-युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.07.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.07.025 को भोर में वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की पुत्री को भगाने में अभियुक्त का साथ उदयभान चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान द्वारा दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 185/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तों 1. प्रदीप चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी तितिरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 2. उदयभान चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान निवासी तितिरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक-12.07.2025 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय महाराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी तितिरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को खरिहानी बाजार से आगे आजमगढ़ मोड़ से समय करीब -22.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 -185/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. प्रदीप चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी तितिरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02.का0 मनोज सरोज थाना तरवां जनपद आजमगढ़

03.म0का0 पूनम मौर्या थाना तरवां जनपद आजमगढ़



04.थाना-दीदारगंज:-युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दि0 14.06.2025 को वादिनी को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की लड़की को अभियुक्त. सत्यम पुत्र रामू निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 162/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त 1. सत्यम पुत्र रामू निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दि0 13.07.2025 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्यम पुत्र रामू कुमार निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को हुब्बीगंज बाजार के पास से समय करीब 8.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सत्यम पुत्र रामू कुमार निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 162/25 धारा 87,137(2) BNS थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 करमुल्ला अली थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. का0 गुलाबधर यादव , थाना दीदारगंज आजमगढ़

